


हरियाणा सरकार
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
अधिसूचना
16 मार्च, 2018

पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009.

संख्या 12673(CFMS)-प0प0-4-2018/3885 पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का 27) की धारा 6 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) तथा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हिसार व पानीपत जिलों को अश्व प्रजाति के पशुओं में गलेंडर्स रोग से बचाव, नियन्त्रण के लिए एतद द्वारा “नियन्त्रित क्षेत्र” घोषित किए जाते हैं तथा घोड़े, गधे, खच्चर व अश्व प्रजाति के अन्य पशुओं की, जहां वे इन जिलों में रखे गए हैं, से किसी अन्य स्थान पर राज्य के अन्दर या बाहर आवाजाही को प्रतिबन्धित किया जाता है तथा इन जिलों में इन पशुओं की दौड़, मेले, प्रदर्शनी, खेल के आयोजन तथा एकत्रित करने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाता है।


अवर सचिव, हरियाणा सरकार
पशुपालन एवं डेयरी विभाग।

HARYANA GOVERNMENT


ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT

Notification

The 16th March, 2018

**THE PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS AND CONTAGIOUS DISEASES IN ANIMALS
ACT, 2009**

No. 12673(CFMS)-AH-4-2018/3885 In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 read with Sub section (1) and (2) of Section 7 of “The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (27 of 2009)”, the Government of Haryana, hereby declares the District Hisar and Panipat as “controlled area” for restriction of movement of equine species (horses, donkeys, mules) within or outside the district and bordering States to prevent, control and contain the Glanders disease. The holding of races, fair, exhibition, games and gathering of such animals in Hisar and Panipat, Districts are also prohibited.


Under Secretary to Government of Haryana,
Animal Husbandry and Dairying Department